राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 2788/ SEIAA/2022
Date: 12/1/22

प्रति,

मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी,
चाणक्यपुरी कॉलोनी,
जिला सतना (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण क्र. 8765 / 2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा.लि. द्वारा श्री यतेन्द्र कुमार, महोल्ला टाकीसराई, हरीनगर, जिला – बिजनौर (उ.प्र.) द्वारा रेत खदान, एरिया 2.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 70200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 19, ग्राम गुवाडी, तहसील – शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, अधिकृत व्यक्ति श्री अनिल कुमार अग्रहरी, चाणक्यपुरी कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 696 वी बैठक दिनांक 10.12.2021 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया ......

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं SEIAA में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी प्रस्तुत करे। जिससे पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की कार्यवाही की जा सके।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 2789 /SEIAA/2022 दिनांक – 12/1/22

प्रतिलिपि :–

1. खनि अधिकारी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी